RJPP, Vol. 15, No. 1, 2017

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

RJPP
REVIEW JOURNAL OF
POLITICAL PHILOSOPHY
A Peer Reviewed International Journal

भारत में आंतकवाद और निवारण हेतू संस्थागत ढांचा : एक संरचनात्मक अध्ययन

डॉ0 निवेदिता कुमारी
विभागाध्यक्ष व एसोशियट प्रोफेसर
राजनीति वि0वि0,
जी0डी0एम0जी0 (पी0जी0) कॉलिज, मोदीनगर।

सारांश

भारत में आतंकवाद कई क्षेत्रों में और कई आधारों पर पनपा है। ऐतिहासिक रूप से इस विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है वर्तमान में धार्मिक कट्टरवादी विचारधारा इसका प्रमुख आधार है। इसके निवारण हेतु भारत की शासन व्यवस्था में ऐसी संस्थाओं इनके निवारण हेतु निर्मित किया गया है।इन संस्थाओं का उद्देश्य ऐसी खतरनाक विचारधाराओं से राष्ट्र की सुरक्षा को संरक्षित करना है। यह संरचनात्मक ढांचा संघीय सरकार के अन्तर्गत संसद द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों से संचालित है।प्रस्तुत शोध पत्र में इस बिन्दु को केन्द्रित करते हुए अध्ययन किया गया है। न्याय व्यवस्था में भी इस प्रकार के वादों का निर्णय किया गया है जिन में राष्ट्र की सुरक्षा को प्रमुखता प्रदान की गई है।

भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठन

लश्कर–ए –तैयबा

एलईटी का तर्जुमा "खालिस लोगों की आर्मी" है। दक्षिण एशिया में यह काफी शक्तिशाली और बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है। यह मुख्यतः पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से संचालित होता है। इसकी स्थापना 1990 में हाफिज सईद न की थी। लश्कर–ए–तैयबा ने भारत में सैनिक एंव असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किया। 2001 में भारत की संसद और 2008 में मुम्बई में भी एल.ई.टी. द्वारा हमले किए गए थे। एल.ई.टी. भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।

जैश–ए–मोहम्मद

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा अपहरण किए गए इण्डियन इयरलाइन्स के विमान आई सी 814 के यात्रियों के बदले दिसम्बर 1999 में जेल से रिहा किए गए आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने हरकत उल मुजाहिदीन संगठन में हुए विभाजन के बाद मार्च 2000 में जैश–ए–मोहम्मद की स्थापना की। अधिकतर सदस्य एचयूएम को छोड़कर अजहर के नव स्थापित ग्रुप में शामिल हो गए। 2001 में नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हुए हमले में एल.ई.टी. के साथ जेईएम भी शामिल था।

हिजबुल मुजाहिदीन

यह कश्मीरी आतंकवादी ग्रुप है जो 1989 में बनाया गया था। वर्तमान में इसका नेता सैयद सलाहुदीन के उपनाम से आमतौर पर पाक अधिकृत कश्मीर में रहता है।

स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट आफ इण्डिया

1977 में स्थापित सिमी एक प्रतिबंधित इस्लामिक छात्र संगठन है। सिमी का मिशन पश्चिम भौतिकवाद संस्कृति के प्रभाव से 'भारत की मुक्ति' और मुस्लिम समाज को मुस्लिू आचार संहिता के अनुसार रहने के लिए प्रेरित करना था। परंतु सिमी अस्सी और नब्बे के दशक में हिन्दू और मुस्लिम ग्रुपों के बीच साम्प्रदायिक दंगों और हिंसा का पृष्ठभूमि में आतंकवादी और उग्रवादी संगठन बन गया और कट्टरपंथी रुख अपना लिया। इसका आदर्श वाक्य पूरे भारत को इस्लाम में बदलना बन गया। 2001 में जब इसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो भारत सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया।

हरकत उल जिहाद अल इस्लामिक

यह एक पाकिस्तान एंव बांग्लादेश आधारित बहुत पुराना इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान बांग्लादेश व भारत में काम कर रहा है। 2006 में बनारस में और 2011 में दिल्ली में हुए बम विस्फोटों की जिम्मेवारी हुजी ने ली है। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के बाद हुजी ने अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ किया है। इसकी बंग्लादेश की यूनिट 2002 में बनाई गई माना जाता है कि यह तालिबान द्वारा समर्थित है।

इण्डियन मुजाहिदीन

यह भारत आधारित एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जिसने भारत के कई असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किए। ऐसी सूचना है कि पिछले दशक में हुए कई विस्फोटों की जिम्मेवारी आईएम ने ली है। पुलिस जांचों में पाया गया है कि यह संगठन पाकिस्तान आधारित लश्कर–ए–तैयबा का अग्रभाग है। वास्तव में, आईएसआई, एलईटी एंव हुजी ने आईएम के गठन को प्रेरित किया है ताकि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की लिप्ता को छुपाया जा सके और अन्य देशों में यह प्रचारित किया जा सके कि भारत में आतंकवाद, देश में मुस्लिमों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण पैदा हुआ है। 2010 में आईएम को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और इस पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया।

न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इस संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। इसका दक्षिण एशिया को "इस्लामिक राज्य" सृजित करना ही एकमात्र उद्देश्य था। 2007 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी और फैजाबाद के न्यायालय परिसरों में विस्फोट करने के पश्चात यह सुर्खियों में आया था।

यह भ्रमित युवा मुसलमानों, एक छोटक अपराधी से लेकर उच्च वेतन प्राप्त सॉफ्टवेयर पेशेवरों की विस्तृत श्रेणी को भर्ती करताहै। हाल ही में इसके एक बड़े नेता यासीन भटकल को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है।

स्लीपर सेल

स्लीपर एजेंटों का पृथक् ग्रुप जो तब तक शिथिल रहता है जब तक उन्हें सक्रिय आदेश नहीं मिलता या सक्रिय होने का निर्णय नहीं लिया जाता। स्लीपर सेल एक जासूसों का ग्रुप है जिसे लक्षित देश या संगठन में रखा जाता है, इसे तुरंत कार्य नहीं करना होता बल्कि वक्त पड़ने पर इसे कार्य में लगाया जाता है।

1. आतंकवाद का सामना करने के लिए संस्थागत ढांचा

2008 से पहले आतंकवाद का मुकाबला मुख्यतः राज्य पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों की मदद से आसूचना ब्यूरों द्वारा किया जाता था। आई.बी. ने विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय का कार्य करने वाली आसूचना एजेंसी की भूमिका निभाई जांच करने और कार्यवाही करने का कार्य राज्य पुलिस द्वारा किया जाता था। इन्दिरा गांधीह की हत्या के बाद विशेष स्थितियों में आतंकवाद के खतरों से निपटने करने के लिए एक विशेष कमांडो बल एल.एस.जी. का गठन किया गया। इन कमाण्डों को अपहरण और आतंकवादी कार्यवाहीयों को रोकने के लिए अधिक खतरे वाले कार्यों को करने का प्रशिक्षण दिया गया।
यद्यपि 26/11 हमले के दौरान मुम्बई पुलिस और एन एस जी द्वारा की गई कार्रवाई की सर्वत्र सराहना की गई है? तथापि प्रारम्भिक पतिक्रिया और बलों द्वारा प्रयोग में लाए गए हथियारों, प्रशिक्षण और उपलब्ध आसूचना के अनुसार की गई कार्रवाई के बीच समन्वय में गम्भीर खामियां नजर आई इसलिए 26/11 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। भारत सरकार ने एनआईए, नेटग्रिडद्व एनसीटीसी, जैसे कई नई संस्थानों के सृजन तथा मै।क (एम.एस.सी) के पुनर्गठन की घोषणा की और विधि सम्मत कई कदम भी उठाए गए।

क. राष्ट्रीय जाँ एजेंसी (National Intelliegence Agency)

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना सरकार ने भारत में आंतकवाद से लड़ने के लिए की है। एनआईए के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र है जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आंतकवादी हमले की तहकीकात करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें देश की प्रभुसत्ता एवं एकता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज एवं समुद्री जहाज अपहरण और परमाणु संस्थाना पूरे हमले शामिल हैं। आतंवादी हमलों को अतिरिक्त जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलना, जहाज का अपहरण परमाणु ऊर्जा अधिनियम का उल्लंघन, सामूहिक विनाशक हथियार अधिनियम से संबंधित अपराध आदि इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

एनआईए का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मानकों से मेल खाते एक अच्छी पेशेवर जाँच एजेंसी होना है। इसका उद्देश्य एक उच्च प्रशिक्षित और समन्वयात्मक एजेंसी बन कर राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य जाँचों में उत्कृष्टता के मानक सथापित करना है।

ख. नेटग्रिड

राष्ट्रीय आचूना ग्रिड या नेटग्रिड एक एकीकृत आचूना ग्रिड है जो आचूना का व्यापक पैटर्न इकट्ठा करने के लिए कई विभागों और भारत सरकार के मंत्रालयों के डाटाबेस में एक कड़ी का काम करेगी और आसूचना एजेंसियों के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकेगी।

यह आंतकवादियों उपाय है जिसके तहत, टैक्स और बैंक खातों के विवरण, क्रेडिट कार्ड का लेनदेन बीजा तथा आव्रजन रिकार्ड और रेल तथा हवाई यात्राओं के रिकार्ड को सरकार के डाटाबेस में सूचना एकत्रित कर उनकी सूक्ष्म रूप से तुलना की जा सकेगी। यह संयुक्त डाटा इन ग्यारह एजेंसियों–रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विंग, आचूना ब्यूरों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, वित्तीय आचूना इकाई, केन्द्रीय प्रत्य कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रर्वतन निदेशालय, स्वापक, नियन्त्रण ब्यूरो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद आसूचना निदेशालय को उपलब्ध करवाया जाएगा। नेटग्रिड को पूरी तरह सक्रिय किया जाना शेष है।

ग. मल्टी एजेंसी सेंटर (मैंक) का पुनर्गठन

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मैंक एक मल्टी एजेंसी सेंटर है इसका कार्य आंतकवाद, कारगिल युद्ध के बाद संबंधित प्राप्त सूचना को दैनिक आधार पर साझा करना है। मल्टी एजेंसी सैंटर (मैंक) की स्थापना 2002 में दिल्ली में की गई थी और विभिन्न राज्यों की सहायक मल्टी एजेंसी सेंटरों (एसएमसी) में आसूचना प्रयासों को सांक्षा करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। आसूचना ब्यूरों में मल्टी एजेंसी सेंटर, पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रक्षा और वित्तीय आसूचना प्रयासों को सांझा करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल है। आसूचना ब्यूरों में मल्टी एजेंसी सेंटर, पुलिस केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रक्षा और वित्तीय आसूचना एजंसियों सहित कई

एजेंसियों के साथ आसूचना साझा करता है। विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में स्थित एस मैंक के साथ भी विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार और रियल टाइम में सूचना साझा करती है। यह सेंटर 24 घंटे कार्य करता है। यह आंतकवादी विरोधी सूचना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मेमोरी बैंक के रूप में भी कार्य करता है। मैंक को आंतकवाद रोधी आसूचना के लेखीकरण और लेखा–परीक्षण के लिए भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। थोड़े से कार्यकाल में मैंक ने अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में सफल रहा है।

घ. एन.एस.जी. के चार नए केन्द्रों की स्थापना–सुरक्षा बलों की कमी को देखते हुए मानेसर के अतिरिक्त चार स्थानों–मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में एन.एस.जी. के केन्द्र बनाए गए हैं ताकि मुश्किल हालातों में और अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

ड. तटीय सुरक्षा योजना का नवीनीकरण– मुम्बई हमले के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नवत है–

- भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी तट रक्षक दल को सौंपी गई है। लेकिन समुन्द्री सीमा की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी भारतीय नौ–सेना की है।
- तटीय राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिये गये है कि तटीय पुलिस स्टेशनों, चैक पोस्टों, आउट पोस्टों इत्यादि केनिर्माण की स्वीकृत तटय सुरक्षा योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।
- तटीय राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय मछुआरों की नौकाएं/जलपोत किराए पर लेकर तुरन्त तटीय गश्त प्रारम्भ की जाए।
- तटीय राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को तट रक्षक दल के साथ सम्पर्क करके उनके तठीय क्षेत्र में पड़ने वाले घुसपैठ सम्भावित स्थानों का विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए।
- जहाजरानी, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सभी प्रकार के जलपोतों अर्थात् मछली पकड़ने या गैर–मछली पकड़नेया गैर–मछली पकड़ने वाले जलपोतों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
- तटीय गांवों रहने वाले सभी लोगों एवं मछली पकड़ने वाले सभी व्यक्तियो को पहचान पत्र जारी करना।

कानूनी रूपरेखा–

आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम टाडा (टीडीए) था जोकि इदिरा गांधी की हत्या के बाद लागू किया गया। परन्तु टाडा के दुरूपयोग किए जाने के आरोप लगने के बाद पोटा भीतरी

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

आंतकवाद को भी कई बार सीमा पार से पड़ोसी देशों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए इन्हें विदेशी आंतकवाद माना जा सकता है। 1971 की लड़ाई में हारने के बाद से भारत में खून–खराबा करवाना पाकिस्तान की नीति का एक भाग है। इससे उसकी भारत के साथ परम्परागत युद्ध करने की अक्षमता जाहिर होती है। आंतकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार आदि दिए जाते हैं और उसके बाद नियन्त्रण रेखा या नेपाल के रास्ते भेजकर भारत में घुसपैठ करा दिया जाता है।

इनमें यह स्पष्ट है कि आंतकवादियों ने भारत की राजनीतिक राजधानी सैनिक ठिकानों वित्तीय राजधानी, सूचना प्रौोगिकी एवं वेज्ञातनिक हवों, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को निशाना बनाने पर अपना ब्यान केन्द्रित किया है। अधिनियम बनाया गया। वर्ष में पोटा को भी समाप्त कर दिया गया। 26/11 मुम्बई हमले के बाद यूएपीए संशोधन अधिनियम दिसम्बर 2008 में लागू हुआ और 2012 में इसमें और संशोधन किए गए।

1. **आंतकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम या टाडा अधिनियम** पंजाब आंतकवाद की पृष्ठभूमि के तहत टाड़ा अधिनियम एक आंतकवादीरोधी कानून था जो पूरे भारत में 1985 से 1995 के बीच अस्तित्व में था। (1987 में इसमें संशोधन किया गया)। दुरूपयोग के व्यापक आरोप लगने के कारण 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतकवाद को परिभाषित करने और आंतकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया यह पहला आंतकवाद विरोधी कानून था। आंतकवाद एवं समाज विघटन की गतिविधियों का निपटारा करने के लिए कानून लागू करने वाले एंजेसियों को इस कानून में व्यापक शक्तियां प्राप्त थी। 24 घंटे के भीतर बंदी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पुलिस बाध्य नहीं थी। बिना चार्जशीट फाइल किए आरोपी को एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था। पुलिस अधिकारी के सामने किए गए अपराध की स्वीकृत न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर मान्य थी और अपने का बेकसूर साबित करने की जिम्मेवारी भी आरोपी की थी। इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई हेतु विशिष्ट न्यायालय बनाए गए थे। सुनवाई गुप्त रूप से हो सकती थी और गवाहों की पहचान गुप्त रखी जाती थी। अधिनियम की धारा 7ए के तहत पुलिस अधिकारी को आरोपी की सम्पति को कुक्र करने के भी अधिकार थे।

2. **आंतकवाद निावरण अधिनियम 2002 (पोटा)** – पोटा एक आंतक विरोधी अधिनियम है जिसे भारत की संसद ने 2002 में बनाया। यह अधिनियम भारत में कई आंतकवादी हमले, विशेष कर संसद पर हमला होने के बाद बना। इसके अनुबंध टाडा के अनुबंधों के अनुरूप हैं, इस कानून के अनुसार आरोपी को न्यायालय में चार्जशीट पेश किए बिना 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। इसके तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों गवाह की पहचान गुप्त रख सकती थी। पुलिस के सामने की गई अपराध की स्वीकृति को जुर्म की अभिस्वीकृति माना जाएगा। नियमित भारतीय कानून के तहत व्यक्ति न्यायालय में अपराध स्वीकृति

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

से मुकर सकता है लेकिन पोटा के तहत नहीं। टाडा से भिन्न, इसमें एहतियाती नजरबंदी का कोई उपबंध नहीं था।

26/11 के बाद परिवर्तन पहले से विद्यमान गैर–कानूनी निवारण अधिनियम में कई सुंसंगत संशोधन किए गए।

1. गैर–कानूनी गतिविधियां(निवारण) संशोधन अधिनियम (यू.ए.पी.ए.)

व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर–कानूनी गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों के निवारण के लिए यूपा एक प्रभावशाली अधिनियम है। यूपी 1967 में बना और 1969, 1972, 1986, 2004, 2008 और 2012 में इसमें संशोधन किए गए। 2012 में किए गए संशोधन में यू0पी0 में आंतकवादी कार्यो की परिधि में आर्थिक अपराधों को भी शामिल किया गया। 'आंतकवादी कार्य' की परिभाषा को विस्तृत किया गया है, इसमें देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले अपराधों, हथियारों के प्रापण, आंतकवादी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करना, भारतीय नकली मुद्रा तैयार करना आदि शामिल है।

न्यायलयों को अपराध में लिप्त भारतीय नकली मुद्रा के बराबर की सम्पत्ति को जब्त करने या आतंकवादी अपराध से कमाई गई सम्पत्ति को जब्त करने की भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं।

2. एन.आई.ए. अधिनियम, 2008 एंव विशेष एन.आई.ए. न्यायालय

2008 में संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार एन आई ए का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है इससे केन्द्र देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले देश की अखंडता और एकता को खतरे, बम विस्फोटों, हवाई जहाज या समुद्री जहाज के अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। आतंकवादी हमलों के अतिरिक्त जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध (गिरोहों द्वारा जबरन धन वसूलना), जहाज का अपहरण, परमाणु ऊर्जा अधिनियम का उल्लंघन, सामूहिक विनाशक हथियार अधिनियम से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

एन.आई.ए. अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एन.आई.ए. पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न विशिष्ट न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है। इनकी अध्यक्षता उस क्षेत्र के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तैनात न्यायाधीश द्वारा की जाती है। किसी विशेष राज्य की प्रवृत्त परिस्थितियों के आलोक में यदि ऐसा करना न्याय के हित में हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष–न्यायालय को हस्तान्तरित करने का अधिकार है चाहे न्यायालय राज्य के भीतर हो या राज्य से बाहर। इन्हें किसी भी

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

प्रकार के अपराध की सुनवाई करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है।

इन न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई प्रतिदिन सभी कार्य दिवसों में होती है और आरोपी के विरुद्ध अन्य न्यायालयों (विशेष न्यायालयों को छोड़कर) में चल रहे मामलों से छुट दी जाती है। विशेष न्यायालय के किसी फैसले, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। वर्तमान में 38 विशेष एन.आई.ए. न्यायालय है। राज्य सरकारों को अपने राज्यों में एक या ज्यादा ऐसी विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्तियां दी गई हैं।

सन्दर्भित स्रोत–सूची

1. *आनन्द अभिजीत, ''एन0आई0ए0 गोइंग नोवेयर'', द स्टेटसमैन, 24 जुलाई 2009, नई दिल्ली।*
2. *एलैक्सपेरी, ''हॉऊ मच टू टिप द टैररिस्ट'', टाइम मैग्जीन, 26 सितम्बर 2005*
3. *डॉ0 जेफरी रिकार्ड, ''आंतकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध''।*
4. *हॉफमैन ब्रुस, ''अन्दर आंतकवाद,'' कोलाम्बिया विश्वविद्यालय प्रेस, 1998*
5. *इकबाल अहमद, ''आंतकवाद पर सीधे बात–चीत'', जनवरी 2002 मासिक समीक्षा*
6. *पॉल विलकिसन, ''मीडिया और आंतकवाद'', 1997, लन्दन*
7. *अनलाफुल एक्टीविटिज (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1967*
8. *पाण्डेय पंकज कुमार, ''साइबर जासूसी में जुटे आंतकी,'' हिन्दुस्तान, 13 मई 2016*
9. *सैकेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन –2005* arc.gov.in
10. *गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोक सभा स्टैण्र्ड*
11. *इण्डियन पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक जनरल, जुलाई 2016, नई दिल्ली।*
12. *नेटग्रिड नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड–म्रूनल* mural.org>2012/97polity natrid
13. *इटस टसइम टू गैट सीरियस एवाउट सोशल मीडिया टेरेरिज्म, टेरेरिज्म एण्ड सोशल मीडिया/*en.mn.wikipedia.org/